राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 875/2012/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत–प्रथम, कोटा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड
कोटा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री अमर सिंह,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 9-5-14

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 93/वैट/2010–11/कोटा में पारित आदेश 16.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मैसर्स यनेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड, बरसिंहसर से संविदा संख्या 53283 के क्रम में रू. 54,26,88,304/–का भुगतान प्राप्त करना बताया है जिस पर अवार्डर द्वारा रू. 1,62,80,654/– का टी डी एस काटा गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इरेक्शन के सम्बन्ध में 23,69,29,841/–,सीधी बिक्री रू. 18,39,01,645/– एवं धारा 6(2) की बिक्री के क्रम में रू. 8,74,68,907/– कुल रू.50,83,00,393/–प्राप्तियॉ प्रदर्शित हैं। इस प्रकार अन्तर राशि 3,47,87,911/– के सम्बन्ध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया,इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने इसे मैटीरियल की सीधी बिक्री मानते हए 1,71,93,955/–की आयरन की बिक्री मानकर 4 प्रतिशत की दर से रू. 6,87,758/– का वेट एवं रू. 1,71,93,956/–की कसीमेसन्ट की बिक्री मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से रू. 21,49,244/– का वेट आरोपित करते हुए कुल वैट रू. 28,37,002/–आरोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्ययवहारी द्वारा रू. 59,23,00,197/– की टी डी एस कटौती के सम्बन्ध में समायोजन चाहा गया है जिसे वैट 41 की जांच करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अधिकांश टी डी एस राशि की कटौती अन्य संविदाओं के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कार्य नही किया गया और ना ही इसे अपने टर्न–>

ओवर में शामिल ही किया गया है इसलिए कान्ट्रेक्ट संख्या 053283 दिनांक 10.8.2006 के अतिरिकत अन्य संविदाओं पर काटी गई टी डी एस की राशि का समयोजन नही दिया गया। तथा उक्त कान्ट्रेक्ट पर काटी गई टी डी एस की राशि रू. 1,62,80,654/– का भी सत्सापन के अभाव में समयोजन नहीं दिया गया।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आरोपित वैट रू. 28,37,002/– एवं टी डी एस का सत्यापन के अभाव में समायोजन नहीं दिये जाने से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने प्रकरण के तथ्यों के विस्तृत विवेचन के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2011 पारित करते हुए पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2011 से क्षुब्ध होकर यह अपील राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 08.09.2011 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि 01.04.2007 से 31.03.2008 (2007–08) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.07.2013 को पारित कर दिया है(जिसकी प्रति बहस के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है), इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है । अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.09..2011 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2011 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 30.07.2013 को पारित कर दिया हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 08.09..2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध

विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09..2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गईं प्रश्नगत उपरोक्त अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-5-14

(अमर सिह)
सदस्य

09/05/14

(सुनील शर्मा)
सदस्य